कार्यालय नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 2440 नातौ/अ-1(1)/2011 भोपाल दिनांक 21-7-11

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक
समस्त निरीक्षक
नाप-तौल
मध्यप्रदेश

विषयः- मासिक आय, अभियोजन एवं प्रवर्तन प्रतिवेदन बाबत्।

- -00- -

भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2011 से म0 प्र0 विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 लागू कर दिया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में निरीक्षकों द्वारा प्रतिमाह प्रेषित किये जाने वाले आय, अभियोजन एवं प्रवर्तन प्रतिवेदन में संशोधन किया गया है।

संशोधित आय, अभियोजन एवं प्रवर्तन प्रतिवेदन की एक-एक प्रति पत्र के साथ संलग्न भेजकर समस्त निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि माह अगस्त 2011 से (जुलाई-2011का) आय, अभियोजन एवं प्रवर्तन प्रतिवेदन संशोधित प्रारूप में ही सहायक/उप नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित करें।

सहायक/उप नियंत्रकों को निर्देशित किया जाता है कि वे निरीक्षकों से प्राप्त संशोधित प्रतिवेदन एकजाई कर संशोधित प्रारूप में वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करें। आय प्रतिवेदन में स. क्र. 1 से 22 तक की जानकारी ही एकजाई कर नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित करें शेष जानकारी अपने कार्यालय में संधारित करें एवं अभियोजन प्रतिवेदन में स.क्र. 01 से 11 तक की जानकारी ही एकजाई कर नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित करें शेष जानकारी अपने कार्यालय में संधारित करें तथा वरिष्ठ कार्यालय से मांगे जाने पर प्रस्तुत करें। प्रवर्तन प्रतिवेदन में भारत सरकार को प्रेषित किये जाने वाले समस्त बिंदु सम्मिलित कर दिये गये है अतः Enforcement प्रतिवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल